झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची में सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–06/2021 के संबंध में आवश्यक सूचना।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची में सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के क्रम में प्रकाशित विज्ञापन संख्या–06/2021 की कंडिका–5 में अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा समर्पित मंतव्य/अनुशंसा, जो आयोग के बेवसाईट पर उपलब्ध है, से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति संख्या–512 दिनांक–09.02.2022 के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गए बिन्दुओं को निम्नवत् स्पष्ट किया जा रहा हैः–

1. A2(iii). Experience Certificate not relevant as per Advertisement

के संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन के अनुसार किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि–विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षो का ''**कार्य करने का अनुभव**'' अनिवार्य अर्हता है परन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा M.Sc/Ph.D डिग्री प्राप्ति के दौरान या विद्यालय (+2 विद्यालय) में किए गए कार्य संबंधी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्य करने का अनुभव नहीं माना गया है।

2. B2. Require Verification of Certificate

के संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है परन्तु समर्पित प्रमाण पत्रों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले संस्थान राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है।

3. उक्त के आलोक में कार्यानुभव से संबंधित वांछित अभिलेख यथा Appointment letter, Pay slip आदि तथा DCA Certificate निर्गत करने वाले संस्थान का राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधी वांछित अभिलेख का Single PDF (20 MB से कम) बनाकर आयोग के E-mail id- fsl@jpsc.gov.in पर अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथो–हाथ आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संबंध में दिनांक–14.02.2022 तक निर्धारित तिथि को दिनांक–15.02.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक विस्तारित किया जाता है।

4. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त अभिलेख पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलबध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।